NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 24-06-2026

विषय सूची

केंद्र सरकार द्वारा NGOs हेतु FCRA नियम सख्त

फिनटेक क्षेत्र का 'क्रेड–मेटा' समझौता

सबमरीन केबलें: डिजिटल युग की महत्त्वपूर्ण आधारभूत संरचना

NEET-संबद्ध आत्महत्याएँ: एक केस स्टडी

संक्षिप्त समाचार

- चापेकर बंधुआ
- निर्भय चेतना
- RSS एवं विधिक इकाई
- TReDS प्लेटफ़ॉर्म
- भारत की ABS रूपरेखा से लाभार्थियों को ₹145 करोड़ का वितरण
- अंतरतारकीय धूमकेतु 3I/ATLAS
- रस लाफ़ान गैस सुविधा
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (PMRBP)

केंद्र सरकार द्वारा NGOs हेतु FCRA नियम सख्त

संदर्भ

- गृह मंत्रालय (MHA) ने **विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन नियम, 2026** को अधिसूचित किया है, जिन्हें **विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (FCRA)** के अंतर्गत जारी किया गया है।

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA), 2010

- FCRA का उद्देश्य विदेशी अंशदान की प्राप्ति और उसके उपयोग को विनियमित करना है, ताकि राष्ट्रीय हित के प्रतिकूल गतिविधियों को रोका जा सके।
- यह अधिनियम पहली बार वर्ष 1976 में लागू किया गया था, किंतु बाद में इसे निरस्त कर वर्ष 2010 में नए कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। वर्ष 2020 में इसमें पुनः संशोधन किया गया।
- FCRA के अंतर्गत प्राप्त पंजीकरण की वैधता 5 वर्ष होती है तथा इसकी अवधि समाप्त होने से पूर्व इसका नवीनीकरण कराना आवश्यक है।
- केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) FCRA के कार्यान्वयन की निगरानी करता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विदेशी निधियों का उपयोग देश की आंतरिक सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव न डाले।

FCRA नियमों में प्रमुख संशोधन

- **गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) की गतिविधियों का वर्गीकरण:** विदेशी निधि प्राप्त करने के इच्छुक NGOs को अब निम्नलिखित पाँच अनुमत श्रेणियों में से किसी एक के अंतर्गत पंजीकरण कराना होगा—
  - सामाजिक
  - आर्थिक
  - शैक्षिक
  - सांस्कृतिक
  - धार्मिक
  - यह पहली बार है जब प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत NGOs के लिए पृथक गतिविधि-सूचियाँ निर्धारित की गई हैं।
- **अनिवार्य प्रकटीकरण:** अब NGOs को निम्नलिखित विवरण अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे—
  - उनकी गतिविधियों का विवरण
  - कार्यक्रमों का भौगोलिक कार्यक्षेत्र
  - उनकी वेबसाइटों की जानकारी
  - सोशल मीडिया खातों का विवरण
  - प्रकाशनों की जानकारी
  - इसके अतिरिक्त, NGOs को प्रत्येक श्रेणी तथा प्रत्येक राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश, जहाँ वे कार्यरत हैं, के लिए अलग-अलग शुल्क का भुगतान करना होगा। पूर्व व्यवस्था में FCRA पंजीकृत संस्थाओं के लिए केवल एकमुश्त शुल्क देय था।
- **प्रमुख पदाधिकारियों की विस्तारित परिभाषा:** संशोधित नियमों के अंतर्गत NGO के "प्रमुख पदाधिकारी" की परिभाषा का विस्तार किया गया है। अब इसमें केवल पदाधिकारी और निदेशक ही नहीं, बल्कि निम्नलिखित व्यक्ति भी सम्मिलित होंगे—
  - न्यासी
  - साझेदार
  - हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) का मुखिया
  - शासी निकाय के सदस्य
  - संगठन का नियंत्रण या प्रबंधन करने वाला कोई भी अन्य व्यक्ति
  - इसके अतिरिक्त, जिन संस्थाओं के प्रमुख पदाधिकारियों में भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIOs) को छोड़कर विदेशी नागरिक शामिल हैं, उन्हें सामान्यतः पंजीकरण अथवा पूर्व अनुमति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा विशेष अनुमति न दी जाए।
- **राज्यवार एवं श्रेणीवार पंजीकरण:** संशोधित नियमों के अनुसार—
  - पंजीकरण प्रमाणपत्र अथवा नवीन पंजीकरण हेतु आवेदन-पत्र में उन उद्देश्यों का स्पष्ट उल्लेख होगा, जिनके लिए पंजीकरण प्रदान किया गया है।
  - इन उद्देश्यों का चयन केवल नियमों की अनुसूची में निर्दिष्ट सूची से ही किया जा सकेगा।
  - NGOs को उन राज्यों अथवा केंद्रशासित प्रदेशों का भी उल्लेख करना होगा, जहाँ वे अपनी गतिविधियाँ संचालित करना चाहते हैं।

- नियमों के अंतर्गत प्रत्येक निर्दिष्ट उद्देश्य तथा प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में कार्य संचालन के लिए पृथक शुल्क भी निर्धारित किया गया है।

संशोधित नियमों का महत्व

- NGOs की गतिविधियों तथा विदेशी वित्तपोषण के संबंध में अधिक प्रकटीकरण के माध्यम से पारदर्शिता में वृद्धि होगी।
- उद्देश्य-विशिष्ट एवं राज्य-विशिष्ट अनुमोदन प्रणाली निगरानी और जवाबदेही को सुदृढ़ बनाएगी।
- प्रमुख पदाधिकारियों की विस्तारित परिभाषा संगठनात्मक सुशासन और उत्तरदायित्व को बेहतर बनाएगी।
- विदेशी निधियों की ट्रेसबिलिटी में सुधार होगा तथा नियामकीय निगरानी अधिक प्रभावी बनेगी।

प्रमुख चिंताएँ

- बहुस्तरीय पंजीकरण और पृथक शुल्क व्यवस्था से NGOs की अनुपालन लागत बढ़ेगी।
- विस्तृत रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ सीमित संसाधनों वाले छोटे संगठनों पर अतिरिक्त प्रशासनिक भार डालेंगी।
- अनुमोदित गतिविधियों एवं कार्यक्षेत्रों पर प्रतिबंध से संस्थाओं के संचालन में लचीलापन कम होगा।
- कठोर विनियमों का प्रभाव नागरिक समाज संगठनों तथा विदेशी वित्तपोषित विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर पड़ सकता है।

निष्कर्ष

- संशोधित FCRA नियमों का उद्देश्य NGOs द्वारा प्राप्त विदेशी अंशदान के संबंध में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा नियामकीय निगरानी को सुदृढ़ करना है।
- यद्यपि ये उपाय नियमों के अनुपालन को बेहतर बनाने तथा निधियों के दुरुपयोग को रोकने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं, तथापि इनके प्रभावी क्रियान्वयन के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वास्तविक नागरिक समाज संगठन बिना अनावश्यक प्रशासनिक बाधाओं के अपने विकासात्मक एवं मानवीय कार्यों को निरंतर संचालित कर सकें।

स्रोत: TH, ET

फिनटेक क्षेत्र का 'क्रेड–मेटा' समझौता

संदर्भ

- भारत के प्रमुख फिनटेक उद्यमी **कुणाल शाह** को **व्हाट्सऐप का वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)** नियुक्त किया गया है।

परिचय

- **मेटा (Meta)** द्वारा **CRED** में 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की भी घोषणा की गई है, जिससे अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा भारत के फिनटेक क्षेत्र तथा भारतीय उपभोक्ताओं द्वारा उत्पन्न डेटा पर बढ़ते नियंत्रण को लेकर चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं।
- मेटा–CRED सौदा ऐसे समय में सामने आया है जब भारत का डिजिटल भुगतान पारितंत्र अमेरिकी कंपनियों से संबद्ध प्लेटफॉर्मों के बढ़ते प्रभुत्व का सामना कर रहा है।
  - वर्तमान में **वॉलमार्ट** के पास **PhonePe** में लगभग 72% हिस्सेदारी है, **गूगल** के स्वामित्व में **Google Pay** है तथा **मेटा** के स्वामित्व में **WhatsApp Pay** है।
  - प्रस्तावित CRED निवेश उस क्षेत्र में विदेशी प्रौद्योगिकी दिग्गजों के नियंत्रण को सुदृढ़ करेगा, जिसका निर्माण मुख्यतः भारत की सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना के आधार पर हुआ है।
- अनेक भारतीय फिनटेक स्टार्टअप दीर्घकालिक भारतीय स्वामित्व वाले डिजिटल अग्रणी संस्थानों के निर्माण की अपेक्षा विदेशी खरीदारों को भविष्य में बिक्री हेतु कंपनियाँ विकसित करने में अधिक रुचि रखते प्रतीत होते हैं।

फिनटेक क्या है?

- भारत में **फिनटेक** क्षेत्र का आशय वित्तीय सेवाओं को अधिक प्रभावी, नवोन्मेषी तथा सुव्यवस्थित बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग से है।
- इस क्षेत्र के अंतर्गत प्रौद्योगिकी-संचालित विभिन्न वित्तीय उत्पाद एवं सेवाएँ सम्मिलित हैं, जैसे—
  - डिजिटल भुगतान
  - ऋण
  - बीमा
  - संपत्ति प्रबंधन
  - व्यक्तिगत वित्त

भारत में फिनटेक क्षेत्र

- भारतीय फिनटेक उद्योग का आकार वर्ष 2024 में लगभग **110 अरब अमेरिकी डॉलर** आँका गया है तथा वर्ष 2029 तक इसके लगभग **420 अरब अमेरिकी डॉलर** तक पहुँचने का अनुमान है।
- फिनटेक कंपनियों की संख्या के आधार पर भारत विश्व में **तीसरे स्थान** पर है तथा डिजिटल भुगतान की मात्रा के मामले में **वैश्विक अग्रणी** है।
- वर्ष 2016 में जहाँ UPI पर केवल **10 लाख (1 मिलियन)** लेन-देन हुए थे, वहीं अब यह **10 अरब (10 बिलियन)** लेन-देन के ऐतिहासिक आँकड़े को पार कर चुका है।

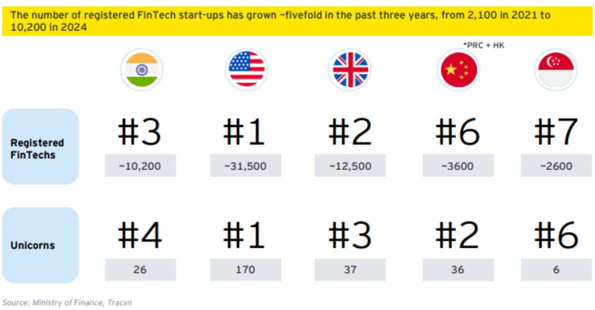

विकास के प्रमुख कारक

- **डिजिटल अवसंरचना:** खुले अनुप्रयोग प्रोग्रामिंग इंटरफेस (Open API) आधारित प्लेटफॉर्मों ने फिनटेक क्षेत्र को गति प्रदान की है, जैसे—
  - आधार
  - UPI
  - भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS)
  - वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN)
- **तकनीकी नवाचार:** कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा मशीन लर्निंग जैसी प्रौद्योगिकियों द्वारा संचालित नवीन व्यावसायिक मॉडलों के कार्यान्वयन ने क्षेत्र के विस्तार को प्रोत्साहित किया है।
- **अनुकूल जनसांख्यिकीय स्थिति:** शहरी क्षेत्रों के लगभग **62%** तथा ग्रामीण क्षेत्रों के **37%** वयस्क इंटरनेट का उपयोग करते हैं।
  - वर्ष 2024 में स्मार्टफोन की पहुँच 50% से अधिक हो गई।
  - विगत सात वर्षों में इसमें लगभग **2.5 गुना वृद्धि** दर्ज की गई है।

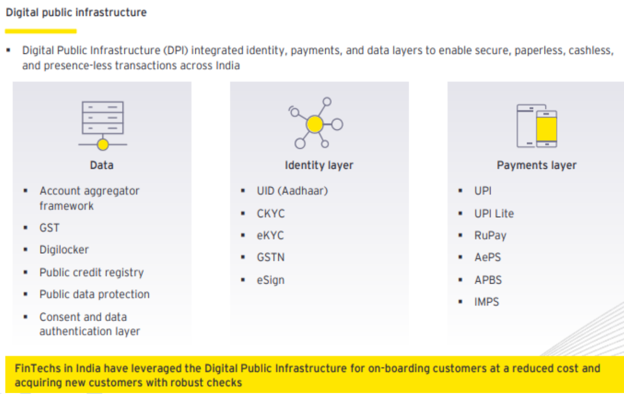

- **वित्तीय समावेशन संबंधी पहलें:** निम्नलिखित योजनाओं ने डिजिटल वित्तीय सेवाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है—
  - प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY)
  - दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)
  - प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)
  - अटल पेंशन योजना (APY)
  - इन पहलों ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को डिजिटल वित्तीय सेवाओं के दायरे में लाने में सहायता की है।

प्रमुख चुनौतियाँ

- **साइबर सुरक्षा जोखिम:** डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बढ़ते उपयोग के कारण—
  - डेटा उल्लंघन
  - साइबर हमले
  - जैसी चुनौतियाँ बढ़ रही हैं। संवेदनशील वित्तीय डेटा की सुरक्षा हेतु सुदृढ़ सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं।

- **डिजिटल साक्षरता का अभाव:** जनसंख्या का एक बड़ा वर्ग अभी भी—
    - डिजिटल साक्षरता
    - तकनीकी पहुँच से वंचित है, जिससे फिनटेक समाधानों की पहुँच और प्रभावशीलता सीमित होती है।
- **उपभोक्ता विश्वास:** विशेषकर वृद्ध जनसंख्या तथा नई तकनीकों से अपरिचित लोगों के बीच डिजिटल वित्तीय सेवाओं के प्रति विश्वास स्थापित करना चुनौतीपूर्ण है।
- **नीतिगत परिवर्तन:** कराधान, ब्याज दरों अथवा अन्य आर्थिक एवं वित्तीय नीतियों में परिवर्तन फिनटेक पारितंत्र को व्यापक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
- **नवाचार एवं विस्तार क्षमता:** तीव्रता से विकसित हो रही प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल बनाए रखना तथा बढ़ती उपभोक्ता मांग के अनुरूप प्रणालियों का प्रभावी विस्तार करना एक महत्वपूर्ण चुनौती है।

भारत में फिनटेक क्षेत्र हेतु सरकारी पहलें

- **प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY):** यह योजना—
    - वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने,
    - नए बैंक खाते खोलने,
    - प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) को सक्षम बनाने,
    - तथा वित्तीय सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है।
- **इंडिया स्टैक:** यह एक सामाजिक पहल है जिसका उद्देश्य ऐसी सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना का निर्माण करना है जो सार्वजनिक एवं निजी दोनों प्रकार की डिजिटल पहलों, विशेषकर वित्तीय क्षेत्र, को समर्थन प्रदान करे।
- **आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS):** यह प्रणाली व्यक्तियों को—
    - आधार संख्या
    - तथा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (फिंगरप्रिंट अथवा आइरिस स्कैन) के माध्यम से माइक्रो-एटीएम पर वित्तीय लेन-देन करने की सुविधा प्रदान करती है।
- **केंद्रीय KYC :** यह एक केंद्रीकृत भंडार है जिसका उद्देश्य विभिन्न वित्तीय संस्थानों में बार-बार KYC कराने की आवश्यकता को कम करना है।
- **एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI):** यह एक विस्तार योग्य मंच है जो पूरे भारत में डिजिटल भुगतान को सुगम बनाता है।
- **भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS):** यह प्रणाली विभिन्न उपयोगिता सेवाओं एवं क्षेत्रों के बिलों के भुगतान को सरल बनाकर उपभोक्ता सुविधा को बढ़ाती है तथा प्रीपेड रिचार्ज को छोड़कर सभी आवर्ती बिल भुगतानों को कवर करती है।
- **फिनटेक हेतु स्व-नियामक संगठन (SRO):** भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने **फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज़्यूमर एम्पावरमेंट (FACE)** को फिनटेक क्षेत्र के लिए स्व-नियामक संगठन के रूप में मान्यता प्रदान की है।
    - यह— उद्योग मानकों को सुदृढ़ करता है,
        - अनुपालन सुनिश्चित करता है,
        - तथा उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देता है।
- **राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM) एवं संबंधित पहलें:** DHM तथा DISHA जैसी सरकारी पहलें डिजिटल अवसंरचना के माध्यम से बीमा एवं स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में परिवर्तन लाने का प्रयास कर रही हैं।
- **नियामकीय सैंडबॉक्स:** इसे भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) तथा बाद में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) द्वारा प्रारंभ किया गया।
    - यह फिनटेक कंपनियों को पूर्ण स्तर पर लागू करने से पूर्व नियंत्रित नियामकीय वातावरण में अपने नवोन्मेषी उत्पादों का परीक्षण करने की अनुमति देता है।
- **आईएफएससी, गिफ्ट सिटी में फिनटेक हब:** गांधीनगर (गुजरात) स्थित **गिफ्ट सिटी (GIFT City)** में विश्वस्तरीय फिनटेक हब विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत को वैश्विक फिनटेक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करना है।

निष्कर्ष

- भारत का फिनटेक क्षेत्र अत्यंत गतिशील एवं तीव्र गति से विकसित होने वाला क्षेत्र है। यह वित्तीय सेवाओं की पहुँच, दक्षता तथा समावेशन को बढ़ाकर देश की वित्तीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

- सुदृढ़ डिजिटल अवसंरचना, नवाचारोन्मुखी नीतियों तथा वित्तीय समावेशन संबंधी पहलों के बल पर भारत वैश्विक फिनटेक परिदृश्य में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है।

स्रोत: IE

पनडुब्बी केबलें: डिजिटल युग की महत्त्वपूर्ण आधारभूत संरचना

संदर्भ

- ब्रिटिश साम्राज्य की **"ऑल-रेड लाइन "** ने संचार नेटवर्कों के सामरिक महत्व को प्रदर्शित किया था। वर्तमान समय में यही भूमिका डिजिटल विश्व को जोड़ने वाली **अंडर-सी फाइबर-ऑप्टिक केबलें** निभा रही हैं।

अंडर-सी टेलीग्राफ केबलें क्या थीं?

- अंडर-सी टेलीग्राफ केबलें ऐसी इन्सुलेटेड संचार तारें थीं जिन्हें महासागरों के तल पर बिछाया जाता था ताकि समुद्रों के पार टेलीग्राफ संदेशों का संचार किया जा सके।
- इन्होंने लंबी दूरी के संचार में क्रांतिकारी परिवर्तन लाते हुए संदेश प्रेषण का समय सप्ताहों अथवा महीनों से घटाकर कुछ मिनटों तक सीमित कर दिया।
- ये वर्तमान की फाइबर-ऑप्टिक पनडुब्बी केबलों की पूर्ववर्ती तकनीक थीं, जिनके माध्यम से आज अधिकांश वैश्विक इंटरनेट यातायात संचालित होता है।
- वर्ष 1851 में **सबमरीन टेलीग्राफ कंपनी** द्वारा इंग्लिश चैनल के आर-पार विश्व की प्रथम सफल अंडर-सी टेलीग्राफ केबल बिछाई गई।

"ऑल-रेड लाइन" का उद्भव

- उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन ने अपने उपनिवेशों में समुद्रतलीय टेलीग्राफ केबलों का एक विशाल नेटवर्क स्थापित किया।
  - इस नेटवर्क को **"ऑल-रेड लाइन"** कहा गया क्योंकि मानचित्रों में ब्रिटिश उपनिवेशों को लाल रंग से दर्शाया जाता था।

- इस नेटवर्क ने ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ा तथा ब्रिटेन को अपने उपनिवेशों के साथ तीव्र संचार की सुविधा प्रदान की।
- प्रतिद्वंद्वी शक्तियों पर निर्भरता से बचने के लिए यह नेटवर्क ब्रिटिश नियंत्रण वाले क्षेत्रों से होकर गुज़रता था।
- केबलों को जिब्राल्टर जलडमरूमध्य से भूमध्य सागर में, वहाँ से माल्टा और स्वेज नहर के माध्यम से लाल सागर तक तथा आगे हिंद महासागर से होकर बम्बई (मुंबई) और हांगकांग तक विस्तारित किया गया था।

अंडर-सी केबलों से जुड़ी प्रमुख संवेदनशीलताएँ

- **अवसंरचना का संकेंद्रण:** अनेक सबमरीन केबलें समुद्र तल पर समान मार्गों से होकर गुजरती हैं, जिससे विफलता के एकल एवं अत्यधिक जोखिमपूर्ण बिंदु उत्पन्न हो जाते हैं।
- **मरम्मत कार्यों में कठिनाई:** क्षतिग्रस्त सबमरीन केबलों की मरम्मत हेतु विशेष जहाजों, तकनीकी विशेषज्ञता तथा अंतरराष्ट्रीय समन्वय की आवश्यकता होती है।
  - सैन्य तनाव अथवा समुद्री संघर्षों की स्थिति में मरम्मत कार्य अधिक जटिल हो जाते हैं।
- **विधिक एवं नियामकीय अस्पष्टता:** जानबूझकर केबलों को क्षति पहुँचाने से संबंधित अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढाँचे अभी भी कमजोर एवं अस्पष्ट हैं, विशेषकर **हाइब्रिड वॉरफ़ेयर** अथवा **ग्रे-ज़ोन संघर्षों** की परिस्थितियों में।

भारत का अंडर-सी केबल नेटवर्क

- भारत वैश्विक समुद्रतलीय केबल नेटवर्क का एक महत्त्वपूर्ण भागीदार है। भारत के पास 17 अंतरराष्ट्रीय समुद्रतलीय केबलें तथा 14 लैंडिंग स्टेशन हैं, जो मुख्यतः मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में स्थित हैं।
  - वर्ष 2022 के अंत तक इन केबलों की कुल प्रकाशमान क्षमता 138.606 Tbps तथा सक्रिय क्षमता 111.111 Tbps थी।

- भारत कई अंतरराष्ट्रीय समुद्रतलीय केबलों के माध्यम से वैश्विक नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, जिनमें प्रमुख हैं—
  - SMW4 (दक्षिण-पूर्व एशिया–मध्य पूर्व–पश्चिमी यूरोप 4)
  - IMEWE (भारत–मध्य पूर्व–पश्चिमी यूरोप)

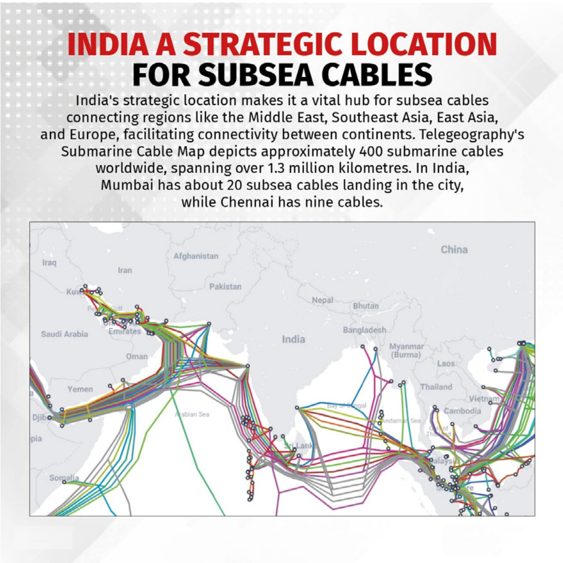

भारत की अंडर-सी केबल संबंधी तकनीकी कमियाँ

- **विधिक सुरक्षा का अभाव:** भारत के पास अपने प्रादेशिक जल एवं **विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ)** में समुद्रतलीय केबलों की सुरक्षा हेतु स्पष्ट कानूनी तंत्र का अभाव है।
  - ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने UNCLOS के अंतर्गत **"केबल सुरक्षा क्षेत्र "** स्थापित किए हैं।
  - भारत ने अभी तक ऐसे क्षेत्रों को अधिसूचित नहीं किया है, जिसके कारण इसकी केबलें आकस्मिक तथा दुर्भावनापूर्ण दोनों प्रकार की क्षति के प्रति संवेदनशील बनी हुई हैं।
- **परिचालन तत्परता की कमी:** भारत के पास स्वदेशी केबल मरम्मत पोत नहीं हैं।
  - रखरखाव के लिए विदेशी जहाजों पर निर्भरता के कारण क्षति होने पर पुनर्स्थापना कार्य में पर्याप्त विलंब होता है।
- **निगरानी संबंधी कमी:** समुद्रतलीय केबल नेटवर्क की वास्तविक समय निगरानी हेतु पर्याप्त अवसंरचना उपलब्ध नहीं है।
  - इससे व्यवधानों की समय पर पहचान और त्वरित प्रतिक्रिया में कठिनाई उत्पन्न होती है।

सबमरीन केबल प्रत्यास्थता हेतु अंतरराष्ट्रीय सलाहकार निकाय

- इसकी स्थापना वर्ष 2024 में **अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU)** तथा **अंतरराष्ट्रीय केबल संरक्षण समिति (ICPC)** की साझेदारी में की गई।
  - इस पहल का उद्देश्य सब मरीन केबलों की प्रत्यास्थता को सुदृढ़ करना है।
- यह निकाय बढ़ते डेटा यातायात, पुरानी होती अवसंरचना तथा पर्यावरणीय खतरों से संबंधित चुनौतियों के समाधान हेतु रणनीतिक मार्गदर्शन भी प्रदान करेगा।

अंतरराष्ट्रीय केबल संरक्षण समिति (ICPC)

- ICPC की स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी।
- यह समुद्रतलीय केबल उद्योग से जुड़े सरकारों एवं व्यावसायिक संस्थाओं का एक वैश्विक मंच है।
- इसका प्रमुख उद्देश्य तकनीकी, कानूनी तथा पर्यावरणीय जानकारी के आदान-प्रदान हेतु मंच प्रदान कर समुद्रतलीय केबलों की सुरक्षा को सुदृढ़ करना है।

स्रोत: IE, ITU, PIB

NEET-संबद्ध आत्महत्याएँ: एक केस स्टडी

संदर्भ

- हाल ही में 22 वर्षीय एक अभ्यर्थी सहित देशभर में हुई अनेक दुखद आत्महत्या की घटनाओं ने उच्च-दांव वाली प्रवेश परीक्षाओं से जुड़े मानसिक दबाव, मानसिक स्वास्थ्य सहायता की आवश्यकता तथा परीक्षा प्रणाली में संरचनात्मक सुधारों की मांग को पुनः प्रमुखता से सामने लाया है।

NEET से जुड़ी आत्महत्याएँ: संक्षिप्त परिचय

- NEET (राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा) से जुड़ी आत्महत्याओं में वे विद्यार्थी सम्मिलित हैं जो इस परीक्षा की तैयारी करते हैं अथवा इसमें सम्मिलित होते हैं और परीक्षा के तनाव, असफलता के भय, अभिभावकीय अपेक्षाओं, सामाजिक दबाव आदि कारणों से आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं।

NEET से जुड़ी आत्महत्याओं में प्रमुख नैतिक मुद्दे

- **व्यक्ति के अंतर्निहित मूल्य का अंकों, रैंक और प्रवेश तक सीमित होना:** विद्यार्थी के मूल्यांकन को केवल उसके अंक, रैंक अथवा प्रवेश प्राप्ति तक सीमित कर देना उसकी मानवीय गरिमा का हनन है।
- **देखभाल की नैतिकता का अभाव:** विद्यार्थियों को परिवार, विद्यालय, कोचिंग संस्थानों तथा समाज से पर्याप्त भावनात्मक समर्थन प्राप्त नहीं हो पाता।
- **अव्यावहारिक सामाजिक एवं अभिभावकीय दबाव:** अत्यधिक अपेक्षाएँ विद्यार्थियों की स्वतंत्रता, कल्याण तथा भावनात्मक संतुलन को प्रभावित करती हैं।
- **शिक्षा का व्यावसायीकरण:** अनेक मामलों में शैक्षणिक संस्थान विद्यार्थियों के समग्र विकास की अपेक्षा परिणामों और लाभ को अधिक प्राथमिकता देते हैं।
- **असफलता का कलंककरण:** विद्यार्थी असफलता को व्यक्तिगत कमजोरी अथवा अपनी अयोग्यता का संकेत मानने लगते हैं।
- **समुचित परामर्श सेवाओं का अभाव:** अपर्याप्त परामर्श सेवाएँ तथा सुलभ मनोवैज्ञानिक सहायता की कमी देखभाल के नैतिक दायित्व के विपरीत है।
- **निम्न भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EI) एवं प्रत्यास्थता का विकास:** भावनात्मक विकास और मानसिक दृढ़ता की कीमत पर केवल शैक्षणिक सफलता पर अत्यधिक बल दिया जाता है।
- **सोशल मीडिया पर तुलना:** सोशल मीडिया पर निरंतर तुलना विद्यार्थियों के तनाव स्तर को बढ़ा देती है।
- **संस्थागत उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही:** शैक्षणिक संस्थानों का दायित्व है कि वे प्रत्येक विद्यार्थी के लिए भावनात्मक रूप से सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करें।
- **समानता एवं न्याय से संबंधित प्रश्न:** बेहतर कोचिंग सुविधाओं तक असमान पहुँच शिक्षा में समान अवसरों और न्याय के सिद्धांत पर प्रश्नचिह्न लगाती है।

परीक्षा-संबद्ध आत्महत्याओं के समाधान हेतु नैतिक विचार

- **मानवीय गरिमा: कर्तव्यवादी एवं कांटियन नैतिकता** के अनुसार प्रत्येक मनुष्य अपने आप में एक उद्देश्य है और उसकी गरिमा सफलता अथवा असफलता से स्वतंत्र होती है।
    - प्रत्येक विद्यार्थी का अंतर्निहित मूल्य उसके अंकों या रैंक से परे है।
    - नीतियों और सामाजिक दृष्टिकोणों में यह प्रतिबिंबित होना चाहिए कि उपलब्धियों के अतिरिक्त भी जीवन का अपना मूल्य है।
- **देखभाल की नैतिकता :** परिवार, विद्यालय, कोचिंग संस्थान तथा समाज के लिए संवेदनशीलता और करुणा अनिवार्य है। इसके प्रमुख तत्व हैं—
    - स्वस्थ संबंध
    - ध्यानपूर्वक सुनना
    - पोषणकारी एवं सहायक वातावरण
- **करुणा एवं सहानुभूति:** इसका अर्थ है विद्यार्थियों की समस्याओं को बिना निर्णयात्मक दृष्टिकोण अपनाए समझना।
    - मानवीय प्रतिक्रिया देना
    - दोषारोपण या कलंकित करने से बचना
    - इसकी मूल भावना है।
- **भावनात्मक बुद्धिमत्ता (EI): डैनियल गोलमैन** के अनुसार भावनात्मक बुद्धिमत्ता स्वयं को समझने, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने तथा दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने की क्षमता है।
    - विद्यार्थियों को विकसित करना चाहिए—
        - आत्म-जागरूकता
        - भावनात्मक नियंत्रण
        - तनाव प्रबंधन क्षमता
        - मानसिक दृढ़ता
        - वहीं शिक्षकों एवं अभिभावकों को संवेदनशील एवं सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए।
- **उत्तरदायित्व एवं देखभाल का दायित्व:** शैक्षणिक संस्थानों का नैतिक दायित्व है कि वे—
    - परामर्श सेवाएँ उपलब्ध कराएँ
    - मार्गदर्शन प्रदान करें
    - सुरक्षित एवं सहयोगी वातावरण विकसित करें
    - साथ ही अभिभावकों और समाज की भी सामूहिक जिम्मेदारी है।

NEXT IAS

- **न्याय एवं निष्पक्षता:** सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी विद्यार्थियों को निम्नलिखित तक समान पहुँच मिलनी चाहिए—
  - गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
  - परामर्श सेवाएँ
  - अवसर एवं संसाधन
  - कोचिंग आधारित असमानताओं को कम करने की आवश्यकता है।
- **स्वायत्तता एवं व्यक्तिगत विकल्पों का सम्मान:** विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा, रुचि और क्षमता के अनुरूप करियर चुनने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।
- **सद्गुण नैतिकता :** विद्यार्थियों में निम्नलिखित सद्गुणों का विकास प्रोत्साहित किया जाना चाहिए—
  - प्रत्यास्थता
  - दृढ़ता
  - साहस
  - आत्म-अनुशासन
  - आशा
- **सामुदायिक नैतिकता:** अकेलेपन और सामाजिक अलगाव से निपटने के लिए सामाजिक जुड़ाव एवं सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देना आवश्यक है।
- **कल्याण एवं समग्र विकास की नैतिकता:** शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षाओं में सफलता नहीं होना चाहिए, बल्कि व्यक्तित्व के समग्र विकास को भी प्रोत्साहित करना चाहिए, जिसमें शामिल हैं—
  - बौद्धिक विकास
  - भावनात्मक विकास
  - नैतिक विकास
  - सामाजिक विकास

आगे की राह : जीवन-पुष्ट समाज का निर्माण

- **परिवारों के लिए:** बच्चों की अत्यधिक तुलना न करें।
  - परिणामों के बजाय प्रयासों की सराहना करें।
  - खुला एवं सकारात्मक संवाद बनाए रखें।
- **शैक्षणिक संस्थानों के लिए:** परामर्श एवं मार्गदर्शन सेवाओं को सुदृढ़ करें।
  - मूल्य-आधारित शिक्षा एवं जीवन-कौशल को बढ़ावा दें।
  - असफलता को सामान्य मानने तथा मानसिक दृढ़ता विकसित करने की संस्कृति विकसित करें।
- **समाज के लिए:** मानसिक रोगों से जुड़े कलंक को समाप्त करें।
  - केवल सफलता नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास और संघर्ष की भी सराहना करें।
  - सहानुभूति, संवेदनशीलता और समावेशन को प्रोत्साहित करें।

निष्कर्ष

- एक नैतिक समाज मनुष्य का मूल्यांकन केवल उसके परीक्षा परिणामों अथवा व्यावसायिक उपलब्धियों के आधार पर नहीं कर सकता।
- अर्नेस्ट हेमिंग्वे के शब्दों में—**"मनुष्य को नष्ट किया जा सकता है, परंतु उसे पराजित नहीं किया जा सकता।"**
- परिवारों, शैक्षणिक संस्थानों तथा समाज का यह नैतिक दायित्व है कि वे प्रत्येक युवा को पर्याप्त गरिमा, सम्मान और सहयोग प्रदान करें, ताकि वह सभी चुनौतियों के बावजूद जीवन को चुन सके और अपने भविष्य का निर्माण कर सके।

स्रोत: IE

संक्षिप्त समाचार

चापेकर बंधु

संदर्भ

- 22 जून 1897 को चापेकर बंधुओं ने पुणे में ब्रिटिश प्लेग आयुक्त **वाल्टर चार्ल्स रैंड** की हत्या कर दी थी।

परिचय

- चापेकर बंधु—**दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण हरि चापेकर तथा वासुदेव हरि चापेकर**—भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों में से थे।
- वे **वासुदेव बलवंत फड़के** की क्रांतिकारी गतिविधियों तथा **बाल गंगाधर तिलक** द्वारा उनके समाचार-पत्र **'केसरी'** के माध्यम से प्रसारित राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित थे।

- **गुप्त संगठन का गठन:** चापेकर बंधुओं ने शारीरिक एवं सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु **"चापेकर क्लब"** नामक एक संगठन की स्थापना की।
- इस संगठन को उन्होंने **"हिंदू धर्म के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने वाली संस्था"** भी कहा।
- **प्लेग महामारी और रैंड की हत्या:** वर्ष 1896–97 में फैली **ब्यूबोनिक प्लेग महामारी** के दौरान ब्रिटिश प्रशासन ने **पूना प्लेग समिति** के अध्यक्ष वाल्टर चार्ल्स रैंड के नेतृत्व में कठोर प्लेग-नियंत्रण उपाय लागू किए।
  - सैनिकों द्वारा घरों की तलाशी ली जाती थी, धार्मिक रीति-रिवाजों का उल्लंघन किया जाता था तथा स्थानीय निवासियों को अपमानजनक निरीक्षणों का सामना करना पड़ता था।
  - चापेकर बंधुओं ने रैंड को औपनिवेशिक दमन का प्रतीक मानते हुए उसकी हत्या की योजना बनाई।
- **गिरफ्तारी एवं फाँसी: दामोदर हरि चापेकर** को वर्ष 1898 में फाँसी दी गई।
- **वासुदेव हरि चापेकर** तथा **बालकृष्ण हरि चापेकर** को वर्ष 1899 में मृत्युदंड दिया गया।

स्रोत: IE

निर्भय चेतना

संदर्भ

- पंचायती राज मंत्रालय ने **'निर्भय चेतना'** विषय पर तीन दिवसीय **प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (ToT)** कार्यक्रम का आयोजन किया।

परिचय

- **निर्भय चेतना** पंचायती राज मंत्रालय द्वारा वर्ष 2026 में प्रारंभ की गई **'निर्भय रहो' पहल** के अंतर्गत एक प्रमुख हस्तक्षेप है।
- यह पहल तीन परस्पर पूरक घटकों से मिलकर बनी है—
  - **निर्भय नेत्री:** निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण एवं विधिक जागरूकता पर केंद्रित है।
  - **निर्भय चेतना :** निर्वाचित पुरुष प्रतिनिधियों को लैंगिक समानता तथा महिलाओं की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील बनाने का प्रयास करती है।
  - **निर्भय दृष्टि :** पंचायतों में प्रौद्योगिकी-सक्षम सुरक्षा अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के रणनीतिक स्थानों पर CCTV कैमरे स्थापित करने की परिकल्पना करती है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:** निर्भय चेतना के अंतर्गत राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर **28,500 मास्टर ट्रेनरों** का एक समूह विकसित किया जा रहा है।
  - इन प्रशिक्षकों के माध्यम से देशभर के **17.5 लाख से अधिक निर्वाचित पुरुष प्रतिनिधियों** तक पहुँच बनाई जाएगी।
  - मास्टर ट्रेनर पुरुष प्रतिनिधियों को निम्नलिखित विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान करेंगे—
    - लैंगिक समानता
    - महिलाओं की सुरक्षा
    - महिलाओं के अधिकार
    - पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं का नेतृत्व

स्रोत: PIB

RSS एवं विधिक इकाई

समाचार में

- कर्नाटक के गृह मंत्री ने **राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS)** की विधिक स्थिति पर प्रश्न उठाया है।

परिचय

- RSS स्वयं को एक **स्वैच्छिक सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन** तथा **"व्यक्तियों का समूह"** बताता है।
- यह न तो **सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860** के अंतर्गत पंजीकृत संस्था है,
- न ही **भारतीय न्यास अधिनियम, 1882** के अंतर्गत पंजीकृत न्यास (Trust) है,
- और न ही **कंपनी अधिनियम, 2013** के अंतर्गत स्थापित धारा-8 कंपनी है।

विधिक इकाई क्या है?

- **'विधि की दृष्टि में व्यक्ति'** से आशय ऐसी किसी इकाई से है जिसे कानूनी अधिकार एवं दायित्व प्राप्त हों।
- व्यक्तियों को सामान्यतः निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जाता है—

- **प्राकृतिक व्यक्ति:** एक मानव व्यक्ति।
- **न्यायिक/कृत्रिम व्यक्ति:** ऐसी विधिक इकाई, जैसे—
  - कंपनी
  - न्यास
  - सोसायटी
  - वैधानिक निकाय
  - जिसके अधिकार एवं दायित्व उसके सदस्यों से पृथक होते हैं।
- **विधिक इकाई के अधिकार:** कानून ऐसी इकाइयों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है—
  - संपत्ति रखने का अधिकार
  - अनुबंध करने का अधिकार
  - न्यायालय में वाद दायर करने अथवा उनके विरुद्ध वाद दायर किए जाने का अधिकार

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के बारे में

- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक **हिंदू राष्ट्रवादी स्वयंसेवी संगठन** है, जिसकी स्थापना **डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार** ने वर्ष 1925 में नागपुर में की थी।
- इसका गठन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान हिंदू संस्कृति एवं समाज के समक्ष मानी जाने वाली चुनौतियों के प्रत्युत्तर के रूप में किया गया था।
- यह **'हिंदुत्व'** की अवधारणा को प्रोत्साहित करता है तथा हिंदुओं की सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय पहचान पर बल देता है।
- **स्वतंत्रता-पूर्व भूमिका:** संगठन ने स्वतंत्रता-पूर्व काल में हिंदू समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - इसने सामुदायिक सेवा, शिक्षा तथा हिंदू आदर्शों के प्रसार पर विशेष बल दिया।
- **स्वतंत्रता के पश्चात:** वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् RSS आलोचना के केंद्र में आया, विशेषकर वर्ष 1948 में **महात्मा गांधी की हत्या** के बाद।
  - गांधीजी की हत्या **नाथूराम गोडसे** द्वारा किए जाने के पश्चात संगठन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया गया था।
  - बाद में यह प्रतिबंध हटाया गया और संगठन ने पुनः अपनी गतिविधियाँ प्रारंभ कीं।

स्रोत: TH

TReDS प्लेटफ़ॉर्म

संदर्भ

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भारतीय रिज़र्व बैंक (ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम) निर्देश, 2026 जारी किए हैं, जिनका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को सरल बनाना है।

TReDS क्या है?

- ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) एक ऑनलाइन मंच है, जो लघु व्यवसायों को अपनी इनवॉइस(Invoices) अथवा व्यापारिक प्राप्य राशियों की नीलामी बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के समक्ष करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे उन्हें कार्यशील पूंजी उपलब्ध हो सके।
- यह मंच निम्नलिखित से प्राप्त होने वाली देय राशियों के विरुद्ध वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करता है—
  - कॉर्पोरेट खरीदार
  - सरकारी विभाग
  - सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs)

RBI के निर्देशों के बारे में

- RBI ने डिस्काउंटिंग सेवाएँ प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए न्यूनतम ₹25 करोड़ की शुद्ध संपत्ति अनिवार्य की है।
- इस शुद्ध संपत्ति का प्रमाणन एक वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।
- वर्तमान में यह सेवा प्रदान कर रही संस्थाओं को इस मानदंड का अनुपालन करने हेतु 31 मार्च 2028 तक की समय-सीमा प्रदान की गई है।

स्रोत: TH, MoneyControl

भारत की ABS रूपरेखा से लाभार्थियों को ₹145 करोड़ का वितरण

संदर्भ

- जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत भारत की प्रवेश एवं लाभ-साझाकरण (ABS) व्यवस्था ने वर्ष 2008 से अब तक ₹266 करोड़ से अधिक राशि एकत्रित

की है, जिसमें से लगभग ₹145 करोड़ लाभार्थियों को वितरित किए जा चुके हैं।

प्रवेश एवं लाभ-साझाकरण (ABS) क्या है?

- ABS वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत जैविक संसाधनों तथा उनसे संबंधित पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न लाभों को उन समुदायों के साथ निष्पक्ष एवं न्यायसंगत रूप से साझा किया जाता है, जिन्होंने इन संसाधनों का संरक्षण किया है।
- यह जैव विविधता पर अभिसमय (CBD) के अंतर्गत एक प्रमुख सिद्धांत है।
- भारत ABS व्यवस्था को जैव विविधता अधिनियम, 2002 तथा इसके हालिया संशोधन जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 के माध्यम से लागू करता है।

महत्व

- भारत की ABS रूपरेखा—
    - नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को आगे बढ़ा रही है।
    - राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति एवं कार्य योजना (NBSAP) 2024–2030 को समर्थन प्रदान कर रही है।
    - कुनमिंग–मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा में योगदान दे रही है, विशेषकर लक्ष्य 13, जो लाभों के निष्पक्ष एवं न्यायसंगत साझाकरण पर केंद्रित है।

जैव विविधता अधिनियम, 2002

- यह अधिनियम जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (CBD), 1992 के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अधिनियमित किया गया था।
- यह जैविक संसाधनों तक पहुँच तथा उनके उपयोग से प्राप्त लाभों के साझाकरण के लिए एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
- यह नागोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग के अनुरूप है।

नागोया प्रोटोकॉल

- "आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँच तथा उनके उपयोग से उत्पन्न लाभों के निष्पक्ष एवं न्यायसंगत साझाकरण पर नागोया प्रोटोकॉल" जैव विविधता पर अभिसमय (CBD) का एक पूरक समझौता है।
- यह आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभों के निष्पक्ष एवं न्यायसंगत साझाकरण हेतु एक पारदर्शी कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
- यह CBD के तीन प्रमुख उद्देश्यों में से एक—लाभों के न्यायसंगत साझाकरण—के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करता है।
- इसे वर्ष 2010 में नागोया (जापान) में अपनाया गया।
- यह वर्ष 2014 में प्रभावी हुआ।

स्रोत: PIB

अंतरतारकीय धूमकेतु 3I/ATLAS

संदर्भ

- 3I/ATLAS की खोज, जो अब तक ज्ञात केवल तीसरी अंतरतारकीय वस्तु है, ने वैज्ञानिकों को एक प्राचीन ग्रह-तंत्रीय प्रणाली से संबंधित पदार्थों का अध्ययन करने का दुर्लभ अवसर प्रदान किया है।

3I/ATLAS क्या है?

- 3I/ATLAS हमारे सौरमंडल से होकर गुजरने वाली अब तक की तीसरी ज्ञात अंतरतारकीय वस्तु है।
- अंतरतारकीय शब्द का प्रयोग उन वस्तुओं अथवा घटनाओं के लिए किया जाता है जो किसी आकाशगंगा में तारों के बीच के अंतरिक्ष में स्थित, गतिमान अथवा घटित होती हैं।
- प्रमुख विशेषताएँ:
    - यह लगभग 2.6 किलोमीटर व्यास वाला एक धूमकेतु है।
    - इसके नाम में "3I" का अर्थ है—पहचानी गई तीसरी अंतरतारकीय वस्तु।
    - इसका निर्माण तब हुआ था जब ब्रह्मांड अपनी वर्तमान आयु का केवल लगभग 13 प्रतिशत था।
    - इसमें सौरमंडल के धूमकेतुओं की तुलना में लगभग 30 गुना अधिक ड्यूटेरियम (भारी हाइड्रोजन) पाया गया है।
    - इसके कार्बन समस्थानिक अनुपात सौरमंडल की वस्तुओं से उल्लेखनीय रूप से भिन्न हैं।

- इससे पूर्व अवलोकित की गई दो अन्य अंतरतारकीय वस्तुएँ 1I/Oumuamua (जिसका पता वर्ष 2017 में लगाया गया था) तथा 2I/Borisov (जिसकी खोज वर्ष 2019 में हुई थी) नामक धूमकेतु थीं।
- 3I/ATLAS वर्तमान में शनि ग्रह (Saturn) की कक्षा की ओर अग्रसर है।
- इसके वर्ष 2029 में बौने ग्रह प्लूटो (Pluto) की कक्षा से आगे निकल जाने की संभावना है।
- अनुमान है कि यह लगभग वर्ष 2035 तक सौरमंडल की बाहरी सीमा को पार कर अंतरतारकीय अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाएगा।
- **महत्व:** वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसका निर्माण लगभग 10 से 12 अरब वर्ष पूर्व हुआ था, जिससे यह संभवतः सौरमंडल में अब तक अवलोकित सबसे प्राचीन वस्तु हो सकती है।
- यह सौरमंडल के निर्माण से भी पूर्व अस्तित्व में आ चुकी थी; सौरमंडल की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष मानी जाती है।
- संभावना है कि इसकी उत्पत्ति किसी अन्य ग्रह-तंत्रीय प्रणाली में हुई हो तथा बाद में यह वहाँ से निष्कासित होकर अंतरतारकीय अंतरिक्ष में पहुँच गई हो।

स्रोत: TH

रस लाफ़ान गैस सुविधा

संदर्भ

- कतर के रस लाफ़ान स्थित बरज़ान गैस सुविधा में हुए विस्फोट में 12 भारतीय श्रमिकों की मृत्यु हो गई।

ऐसे दुर्घटनाओं पर लागू भारतीय कानून एवं नियम

- **कारखाना अधिनियम, 1948 :** यह अधिनियम अधिकांश औद्योगिक दुर्घटनाओं पर लागू होता है, क्योंकि यह—
  - आग एवं विस्फोटों की रोकथाम हेतु संचालकों के दायित्व निर्धारित करता है।
  - आवश्यक सुरक्षा उपायों एवं सूचना प्रकटीकरण को अनिवार्य बनाता है।
  - खतरनाक प्रक्रियाओं से संबंधित इकाइयों के लिए आपातकालीन योजनाएँ तैयार करने का प्रावधान करता है।
- **खतरनाक रसायनों का विनिर्माण, भंडारण एवं आयात नियम, 1989:** यह नियम पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए हैं।
  - इनका उद्देश्य वाष्प बादल विस्फोटों तथा अन्य रासायनिक दुर्घटनाओं की रोकथाम करना है।
- **केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम, 2010:** ये विनियम तब लागू हो सकते हैं जब ज्वलनशील गैसों अथवा गैस मिश्रणों के संपर्क में कोई प्रज्वलन स्रोत या विद्युत उपकरण आ जाए।
  - इनका उद्देश्य विद्युत संबंधी जोखिमों को कम करना तथा दुर्घटनाओं की रोकथाम करना है।
- **बॉयलर अधिनियम, 1923 तथा विभिन्न राज्य स्तरीय बॉयलर नियम निम्नलिखित विषयों को विनियमित करते हैं—** बॉयलरों एवं दाब प्रणालियों का निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण
  - सुरक्षित संचालन की शर्तें
  - संचालकों की योग्यता
  - समय-समय पर निरीक्षण एवं सुरक्षा मूल्यांकन

सुरक्षा उपकरण प्रणाली के निर्धारण हेतु HAZOP एवं LOPA

- **HAZOP (जोखिम और संचालन क्षमता अध्ययन):** HAZOP अर्थात जोखिम एवं परिचालन अध्ययन एक व्यवस्थित पद्धति है, जिसका उपयोग किसी औद्योगिक सुविधा के अभिकल्पना उद्देश्य से संभावित विचलनों की पहचान करने के लिए किया जाता है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:** यह सामान्यतः स्थिर-अवस्था परिचालन पर केंद्रित होता है।
  - उदाहरण के लिए, यह मूल्यांकन किया जाता है कि यदि किसी पाइप में प्रवाह न हो तो उसका व्यवहार कैसा होगा।
  - संक्रमणकालीन परिचालनों के लिए अभियंता प्रक्रियात्मक HAZOP का उपयोग करते हैं।
  - इसमें स्टार्टअप मैनुअल के प्रत्येक चरण का विस्तार से विश्लेषण किया जाता है।

- **LOPA (सुरक्षा की परत का विश्लेषण):** LOPA अर्थात सुरक्षा परत विश्लेषण (Layer of Protection Analysis) एक अर्द्ध-मात्रात्मक (Semi-Quantitative) तकनीक है, जिसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु पर्याप्त स्वतंत्र सुरक्षा परतें उपलब्ध हैं या नहीं।
- **संभावित सुरक्षा परतें:** परिचालक
  - चेतावनी संकेत/अलार्म
  - दाब-नियंत्रण अथवा राहत वाल्व
  - विस्फोट-रोधी दीवार
  - अन्य स्वतंत्र सुरक्षा तंत्र
  - इन सभी परतों का उद्देश्य संभावित दुर्घटनाओं की संभावना एवं प्रभाव को न्यूनतम करना होता है।

स्रोत: TH

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (PMRBP)

संदर्भ

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (PMRBP) 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (PMRBP) के बारे में

- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (PMRBP) प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस (26 दिसंबर) के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है।
- वर्तमान स्वरूप में इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2019 में की गई थी।
- यह पुरस्कार 5 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को निम्नलिखित छह श्रेणियों में उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है—
  - वीरता
  - कला एवं संस्कृति
  - पर्यावरण
  - विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी
  - सामाजिक सेवा
  - खेल
- **पात्रता:** पुरस्कार हेतु पात्र होने के लिए नामांकित बालक/बालिका को निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करनी होंगी— वह भारत का नागरिक हो तथा भारत में निवास करता हो।
  - उसे पूर्व में यह पुरस्कार प्राप्त न हुआ हो।
  - उसकी मान्य उपलब्धि नामांकन की अंतिम तिथि से पूर्व के दो वर्षों के अंदर अर्जित की गई हो।
- **अन्य प्रावधान:** सामान्यतः यह पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान नहीं किया जाता, तथापि असाधारण परिस्थितियों में विशेष मामलों पर विचार किया जा सकता है।
- यह पुरस्कार भारत में बच्चों को प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है।
- PMRBP के प्रत्येक पुरस्कार विजेता को निम्नलिखित प्रदान किए जाते हैं—
  - एक पदक
  - एक प्रमाण-पत्र
  - एक प्रशस्ति-पुस्तिका।

स्रोत: DD News

■■■■